

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम  
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

वाहन स्टैण्ड ठेका हेतु निविदा आमंत्रण

कार्यालय "लेखा भवन" परिसर में वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के लिये ठेका देना चाहता है जिसके लिये इच्छुक व्यक्तियों से उनकी सील बंद दरें निर्धारित निविदा फार्म (अनुलग्नक-क) में उपमहालेखाकार (प्रशासन) के नाम से सचिवालय/उप महालेखाकार (प्रशासन) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, झांसी रोड लेखा भवन ग्वालियर में स्थापित निर्धारित निविदा बॉक्स में दिनांक 18.11.2022 को प्रातः 11:00 बजे तक ऑफ-लाईन माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा लिफाफे के ऊपर "वाहन स्टैण्ड ठेका" लिखना होगा। नियत तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी। प्राप्त उक्त निविदायें दिनांक 18.11.2022 को दोपहर 12:00 बजे खोली जावेगी। निविदा के साथ बयाना राशि के रूप में रुपये 2,000/- (रुपये दो हजार) मात्र का किसी भी अधिसूचित बैंक का बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट जो कि भुगतान एवं लेखा अधिकारी कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्यप्रदेश, ग्वालियर (Pay and Accounts Officer, O/o PAG (A&E)-I Gwalior) के नाम देय संलग्न करना होगा। बिना बयाना राशि के प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा फार्म इस कार्यालय की बेवसाईट [cag.gov.in/ae/gwalior-i/en](http://cag.gov.in/ae/gwalior-i/en) से निःशुल्क डाउनलोड किये जा सकते हैं। वाहनों की संख्या के संबंध में कार्यालयीन समय में प्रातः10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निविदा की अंतिम तिथि से पूर्व कभी भी अवलोकन किया जा सकता है।

निविदा/ठेके के नियम शर्तें

1. सफल निविदाकर्ता को अनुबंध करने से पूर्व प्रतिभूति राशि के रूप में स्वीकृत निविदा/ठेके की वार्षिक राशि के अनुसार छः माह की राशि के तुल्य राशि की किसी भी अधिसूचित बैंक की सावधि जमा र सीद जो "भुगतान एवं लेखा अधिकारी" कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) प्रथम, म.प्र. ग्वालियर के पक्ष में 12 माह की अवधि हेतु बनवाकर प्रस्तुत करना होगी तथा रुपये 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
2. एक बार की गई निविदा, निविदाकार द्वारा वापस नहीं ली जा सकेगी तथा निविदा स्वीकृति की सूचना इस कार्यालय द्वारा जारी किये जाने के पश्चात निविदाकार ठेका लेने से इंकार नहीं कर सकेगा अथवा अन्य कोई शर्त नहीं रख सकेगा। उपरोक्त में से किसी भी परिस्थिति में निविदा के साथ जमा की गई प्रतिभूति राशि रू. 2,000 राजसात कर ली जायेगी।

3. ठेका सैद्धान्तिक क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि एक मुश्त वार्षिक रकम, जो मासिक आधार पर अग्रिम रूप से देय होगी तथा प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त होगी, के आधार पर दिया जायेगा। प्रत्येक माह का अग्रिम किराया प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करना होगा। किसी माह की 10 तारीख को शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगला कार्य दिवस को किराया जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त नियत तिथि तक यदि अग्रिम किराये की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में रुपये 200/- (रुपये दो सौ) प्रतिदिन की दर से अधिभार चुकाना होगा। एक माह का अग्रिम किराया एक माह के अन्दर अधिभार सहित न देने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है, तथा ठेकेदार की जमा राशि भी राजसात की जा सकती हैं।
4. वाहन स्टैण्ड ठेके की अवधि (अनुबंध निष्पादन की तिथि से 01 वर्ष तक) समाप्त होने पर ठेकेदार कार्यालय परिसर को तत्काल खाली कर देगा, ऐसा न करने पर ठेकेदार के खिलाफ सरकारी-स्थान अधिनियम 1971 के अन्तर्गत बेदखली सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी।
5. वाहनों की देखरेख के अतिरिक्त ठेकेदार किसी अन्य प्रयोजन के लिये वाहन स्टैण्ड या कार्यालय परिसर का कोई भी भाग प्रयोग नहीं करेगा न ही इसका कोई भी भाग अन्य व्यक्ति को किसी उद्देश्य से उप किरायेदारी पर देगा। यदि किसी भी अवसर पर ठेकेदार ऐसा करता पाया गया तो ठेके की प्रतिभूति राशि जब्त कर तत्काल प्रभाव से ठेका समाप्त कर दिया जावेगा तथा ठेकेदार कानूनी कार्यवाही का पात्र होगा।
6. ठेकेदार को लेखा भवन में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों से वसूली योग्य पार्किंग प्रभारों की निम्नलिखित दरों से वसूल करने का हक होगा।
  - (क) साईकिल :- रुपये 11 प्रति साईकिल प्रति माह।
  - (ख) मोपेड/स्कूटर/मोटर साईकिल/कार:-रुपये 22 प्रति माह (हैलमेट सहित) वाहन में हैलमेट लॉक करने पर।
7. ठेकेदार कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रत्येक माह के प्रथम 10 कार्य दिवसों के अन्दर मासिक पार्किंग प्रभार ले सकता है।
8. वाहन (मोपेड/स्कूटर/मोटर साईकिल/कार) में आने वाले बाहरी आगन्तुकों से रुपये 2- (दो रूपया मात्र) तथा साईकिल के एक रुपये प्रतिवाहक प्रति दिन से अधिक वसूल नहीं किए जायेंगे। कार्यालय में सरकारी डाक लगाने वाले डाक वाहक एवं दूरभाष कर्मचारी इस वसूली से मुक्त रखे जावेंगे।
9. हैलमेट की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु स्कूटर/मोटर साईकिल में लॉक न करते हुए अलग से रखने पर मासिक दर रुपये 7/- (सात रूपये मात्र) प्रतिमाह तथा आकस्मिक ग्राहकों



- से एक रूपया प्रतिदिन प्रति हैलमेट से अधिक वसूल नहीं किए जायेंगे यह राशि उपरोक्त कम संख्या 6 के मद क्रमांक (ख) में दिये गये प्रभारों के अतिरिक्त होगी।
10. ठेकेदार द्वारा कार्यालय में आने वाले प्रतिदिन अधिकतम वाहनों की संख्या किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय परिसर तथा उसमें निर्मित स्टैण्ड पर देखी जा सकती है।
  11. ठेकेदार द्वारा वसूली योग्य पार्किंग प्रभार प्राप्त कर वाहन धारक को नम्बर एवं दिनांक की छपी हुई रसीद जारी करनी होगी। यह प्रतिदिन आने वाले आगन्तुकों पर भी लागू होगा।
  12. ठेकेदार को वाहन स्टैण्ड, जिसमें कार्यालय परिसर भी सम्मिलित है, में प्रमुख स्थानों पर वसूली की दरें प्रदर्शित करनी होंगी।
  13. ठेकेदार अथवा उसके द्वारा लगाए गये कर्मचारियों को वाहन स्टैण्ड का संचालन प्रत्येक कार्य-दिवस में सुबह 9 बजे से सायं 6:30 बजे तक करते हुये परिसर में रहना आवश्यक होगा।
  14. ठेकेदार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें, कि वाहन निर्धारित स्टैण्ड के अलावा कार्यालय परिसर में अन्यत्र कहीं भी न रखे जावें।
  15. कार्यालय परिसर में किसी भी स्थान से पार्किंग प्रभार जमा वाहन खो जाने पर ठेकेदार वाहन की भरपाई हेतु मुआवजा राशि देने के लिए जिम्मेदार होगा। मुआवजा राशि का निर्धारण कार्यालय प्रशासन द्वारा किया जायेगा एवं निर्णय के बाद मुआवजे की राशि का भुगतान वाहन स्टैण्ड ठेकेदार द्वारा एक सप्ताह के अन्दर करना होगा।
  16. समस्त कर्मचारियों को प्रतिदिन टोकन देने होंगे। ये टोकन कमवार संख्या दर्शाते हुए होना चाहिए, जो ठेका शुरू होने से पहले प्रशासन को दिखाने होंगे।
  17. वाहन का टोकन खो जाने पर ठेकेदार उचित सत्यापन करके कर्मचारी को वाहन ले जाने देगा।
  18. वाहन स्टैण्ड पर खड़े वाहनों से पुर्जों की चोरी या तोड़फोड़ तथा पेट्रोल की चोरी आदि से बचाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा ठेकेदार द्वारा इसका सही निर्वहन न करने पर इस सम्बन्ध में मुआवजे की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
  19. ठेकेदार या उसके कर्मचारियों को इस कार्यालय के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों व बाहरी आगन्तुकों से मधुर व्यवहार रखना होगा। अभद्र व्यवहार की शिकायत पर ठेकेदार के खिलाफ प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी जिसका परिणाम ठेके को तुरंत प्रभाव से समाप्त करना तथा प्रतिभूति एवं अग्रिम मासिक जमा राशि का जप्त किया जाना हो सकता है।

20. ठेकेदार को वाहन स्टेण्ड पर हवा भरने हेतु कम्प्रेसर/हवा भरने हेतु पम्प स्टेण्ड पर उपलब्ध कराना होगा ।
21. किसी भी निविदा को या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने या किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार उप महालेखाकार (प्रशासन) को होगा तथा इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अंतिम होगा ।
22. ठेकेदार को परिसर में वाहनों की समुचित पार्किंग एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना होगी जिसके लिये पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी तथा अपने कर्मचारियों की सूची पते एवं उनके फोटो कार्यपालन-शाखा में जमा करानी होंगे। यदि कोई कर्मचारी कार्य से हटाया जाता है तो उसकी सूचना कार्यपालन-शाखा में देना अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा ऐसा न करने पर धरोहर की राशि राजसात कर ली जावेगी। कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्य दिवस में ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों का निरीक्षण किया जा सकता है।
23. कार्यालय परिसर में स्थित बैंक, पोस्ट ऑफिस, सी.पी.डब्ल्यू.डी., दूरसंचार एवं प्राथमिक चिकित्सालय के कर्मचारियों एवं बैंक, पोस्ट ऑफिस में आने वाले आगंतुकों से कोई राशि वसूल नहीं की जा सकेगी।
24. लेखा भवन में शासकीय कार्य से आने वाले वाहनों एवं शासकीय वाहन से कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा।
25. लेखा भवन में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़ने एवं लेने आने वाले व्यक्तियों/वाहनों से कोई शुल्क नहीं लिया जावेगा।
26. कार्यालय परिसर से बाहर खड़ी गाड़ियां निविदा की शर्तों से मुक्त रहेंगी।
27. विद्युत व्यय यदि कोई हो, ठेकेदार को वहन करना होगा।
28. ठेके की अवधि में ठेके सम्बन्धी विवादों के निराकरण हेतु उप महालेखाकार (प्रशासन) का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
29. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

ठेके की किसी भी शर्त को पूरा न करने की स्थिति में उप-महालेखाकार (प्रशासन) का दिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

Sd./-

उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम  
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुलग्नक—क

वाहन स्टैण्ड ठेका हेतु निविदा आमंत्रण दिनांक 18.11.2022

प्रातः 11:00 बजे तक

मुझे लेखा भवन परिसर में वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु ठेके की समस्त शर्तें (सरल क्रमांक-1 से 29 तक) मान्य है। मैं वाहन स्टैण्ड ठेके के लिए वार्षिक रुपये (अंको में) .....  
..... (शब्दों में) .....  
..... कार्यालय को दूंगा। वाहन स्टैण्ड से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। इस संबंध में अनुबंध के अंतर्गत प्रशासन द्वारा दिया जाने वाला प्रत्येक दण्ड मुझे मान्य होगा।

संलग्न:- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्रमांक

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

नाम:-

पूरा पता

मोबाईल/दूरभाष नम्बर:-

आधार नम्बर:-

गवाह के हस्ताक्षर

नाम:-

पूरा पता

मोबाईल/दूरभाष नम्बर:-

आधार नम्बर:-